(भारत के राजपत्र के भाग I खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

उद्योग भवन, नई दिल्ली
दिनांक : **15 जून, 2010**

संकल्प

सं. ई. 11015(7)/2009-हिंदी. इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने दिनांक 30 नवम्बर, 2004, 13 दिसंबर, 2004, 2 मई, 2006, 4 जनवरी, 2008 और 24 अक्टूबर, 2008 के संकल्प संख्या ई-11015(3)/2004 -हिंदी का अधिक्रमण करते हुए मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन करने का निश्चय किया है। पुनर्गठित समिति का गठन, कार्य आदि इस प्रकार होंगे:

1. गठन

गैर-सरकारी सदस्य

1. इस्पात मंत्री — अध्यक्ष
2. इस्पात राज्य मंत्री — उपाध्यक्ष

संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित लोक सभा के दो सदस्य

1.	श्रीमती श्रुति चौधरी, संसद सदस्य (लोक सभा) 9, मीना बाग, ग्राउंड फ्लोर, नई दिल्ली	सदस्य
2.	कुमारी सरोज पांडे, संसद सदस्य (लोक सभा) कमरा नं0- 107, छत्तीसगढ़ भवन, चाणक्य पुरी, नई दिल्ली	सदस्य

संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित राज्य सभा के दो सदस्य

3.	श्री तारिक अनवर, संसद सदस्य (राज्य सभा) ए बी-11, तिलक मार्ग, नई दिल्ली	सदस्य
4.	श्री राम चन्द्र खूंटिया संसद सदस्य (राज्य सभा) 26, डॉ0 आर.पी. रोड, नई दिल्ली-110001	सदस्य

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित दो सदस्य

5.	श्री दिनेश चंद्र यादव, संसद सदस्य (लोक सभा) 3 साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली-110011	सदस्य
6.	श्री शिवानंद तिवारी, संसद सदस्य (राज्य सभा) 702, ब्रह्मपुत्र, डॉ. बी.डी. मार्ग, नई दिल्ली	सदस्य

अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ एवं केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद् के प्रतिनिधि

7.	श्री कृष्णानन्द झा, व्यवस्थापक, हिंदी विद्यापीठ, वैद्यनाथ धाम, देवघर - 814115 (झारखंड)	सदस्य
8.	श्री गोपाल कृष्ण फरलिया , डी-2/2205, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070	सदस्य

मंत्रालय द्वारा नामित सदस्य

9.	श्री श्रीकान्त शर्मा, विशेष संवाददाता, नवभारत टाइम्स, सी-4, प्रेस अपार्टमेंट्स, 23, इंद्रप्रस्थ एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली-92	सदस्य
10.	डॉ. राजेश कुमार चौधरी, नरेन्द्र कुमार शास्त्री मार्ग, अनुसूचित जाति छात्रावास, वाराणसी कैन्ट - 221002, (उ० प्र०)	सदस्य
11.	डॉ. रमेश निर्मल, पत्रकार, लेखक, टाइम्स आफ इंडिया ग्रुप, 86-88, खाडिलकर रोड, मुम्बई - 400 004	सदस्य
12.	श्री सीताराम शास्त्री, गांव व पोस्ट आफिस - पंजगाई, जिला - बिलासपुर - 174012 (हिमाचल प्रदेश)	सदस्य

राजभाषा विभाग द्वारा नामित सदस्य

13.	श्री सुनील बजाज, 6/16, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008	सदस्य
14.	श्री रतन सिंह दहिया, टी-553/ए, गली नं0 22-ए बलजीत नगर, नई दिल्ली-110008	सदस्य
15.	श्री संजय शर्मा, 9316, गउशाला मार्ग, किशन गंज, दिल्ली-110006	सदस्य

सरकारी सदस्य

16.	सचिव (इस्पात), इस्पात मंत्रालय	सदस्य
17.	सचिव, राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय)	सदस्य
18.	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, इस्पात मंत्रालय	सदस्य
19.	संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय)	सदस्य
20.	अध्यक्ष, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली	सदस्य
21.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एन एम डी सी लिमिटेड, हैदराबाद	सदस्य
22.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, मेकॉन लिमिटेड, रांची (झारखण्ड)	सदस्य
23.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड, नागपुर	सदस्य
24.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कुद्रेमुख आयरन ओर कं. लि., बंगलौर	सदस्य
25.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापट्टणम	सदस्य
26.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एम एस टी सी लि., कोलकाता	सदस्य
27.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता	सदस्य
28.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद	सदस्य
29.	प्रबंध निदेशक, फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड, भिलाई	सदस्य
30.	संयुक्त सचिव (राजभाषा के प्रभारी), इस्पात मंत्रालय	सदस्य-सचिव

2. कार्य

इस समिति का कार्य संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम व नियम के उपबंधों, केन्द्रीय हिंदी समिति के निर्णयों तथा गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा जारी निदेशों, अनुदेशों के कार्यान्वयन और मंत्रालय के कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के बारे में सलाह देना होगा।

3. कार्य अवधि

(1) समिति का कार्यकाल उसके गठन की तारीख से सामान्यत: 3 वर्ष का होगा।

(2) समिति के कार्य-काल के दौरान, यदि किसी व्यक्ति को समिति का सदस्य नामित किया जाता है तो वह उस समिति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य होगा ।

(3) विशेष परिस्थितियों में मंत्रालय द्वारा समिति का कार्यकाल कम या ज्यादा किया जा सकता है।

(4) जो संसद सदस्य समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

(5) समिति के पदेन सदस्य अपने पद पर कार्य करते रहने पर समिति के सदस्य होंगे।

4. यात्रा भत्ता एवं अन्य भत्ते

समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन सं.-II/22034/04/86-रा.भा.(क-2) में निहित दिशा-निदेशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा-संशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा-भत्ता और दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

(डॉ. दलीप सिंह)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23061896

प्रबंधक
भारत सरकार मुद्रणालय
फरीदाबाद

अनुरोध है कि जिस राजपत्र में यह संकल्प प्रकाशित हो उसकी प्रति इस्पात मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली को भेजें।